

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा,  
जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :- मृदुला शेखावत ( आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :- 69/2023

वादीगण :-

1. रेवतराम पुत्र श्री पाबुराम
2. अणदाराम पुत्र श्री सीमाराम
3. अम्बालाल पुत्र श्री पेमाराम
4. ओमदत पुत्र श्री गोकलराम
5. कमली पुत्री श्री सुगनाराम
6. गजराई पत्नी श्री मांगीलाल
7. गुटकीदेवी पुत्री श्री आसुराम
8. गीता पुत्री श्री पाबूराम
9. घेवरराम पुत्र श्री अनाराम
10. चैनाराम पुत्र श्री पूनाराम
11. छैलाराम पुत्र श्री मांगीलाल
12. टोड़ाराम पुत्र श्री गोपाराम
13. तुलछाई पुत्री श्री पाबूराम
14. तिजाई देवी पत्नी श्री बचनाराम
15. दाखूदेवी पत्नी श्री पेमाराम
16. धोकलराम पुत्र श्री गोपाराम
17. नरसिंगराम पुत्र श्री जोगाराम
18. नवरतनमल पुत्र श्री अमराराम
19. नाथीदेवी पत्नी श्री अमराराम
20. पतासी पत्नी श्री डांवरराम
21. पन्नालाल पुत्र श्री आसुराम
22. पन्नालाल पुत्र श्री सुगनाराम
23. पपूराम पुत्र श्री पूनाराम
24. प्रकाशराम पुत्र श्री जोगाराम
25. पानीदेवी पत्नी श्री आसुराम
26. पोकरराम पुत्र श्री सीमाराम
27. फेफली पत्नी श्री बंशीलाल
28. बाबूलाल पुत्र श्री सुगनाराम
29. बाबूलाल पुत्र श्री पेमाराम
30. बाबूलाल पुत्र श्री गोकलराम
31. भाकरराम पुत्र श्री गोपाराम
32. मदनलाल पुत्र श्री पाबूराम
33. मेनादेवी पुत्री श्री सीमाराम
34. मनीषा पुत्री श्री रामचन्द्र
35. महेन्द्र पुत्र श्री मांगीलाल
36. रेखा पुत्री श्री अमराराम,
37. लक्ष्मणराम पुत्र श्री भंवरलाल
38. लालूराम पुत्र श्री बालूराम
39. श्यामलाल पुत्र श्री सुगनाराम



सहायक कलक्टर  
एवं उप खण्ड अधिकारी  
बिलाड़ा

40. शान्ति पुत्री श्री पावराम
41. शिवदानराम पुत्र श्रीराम
42. शोभा पुत्री श्री अमरारामयु
43. संतोष पुत्री श्री बंशीलाल
44. सुमन पुत्री श्री रामचन्द्र
45. सुमित्रा पुत्री श्री अमराराम,
46. सोहनलाल पुत्र श्री भंवरलाल
47. हाथीराम पुत्र श्री गोपाराम

जातियान कुम्हार (प्रजापति) निवासीगण ग्राम पटेलनगर, तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर राज.

### बनाम

### प्रतिवादीगण :-

1. केवलराम पुत्र श्री कालूराम
2. चम्पादेवी पत्नी श्री आनन्दप्रकाश
3. पुरखाराम पुत्र श्री कालूराम
4. बिड़दाराम पुत्र श्री शिवजीराम
5. रूकमादेवी पत्नी श्री रमेशचन्द्र
6. राकेश पुत्र श्री आनन्दप्रकाश
7. रामदीन पुत्र श्री उंकारराम
8. रामनिवास पुत्र श्री आनन्दप्रकाश
9. जातियान कुम्हार (प्रजापति) निवासीगण ग्राम पटेलनगर, तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर राज.  
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भूमिधारी) बिलाड़ा।

### वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :- वादीगण- श्री मदनलाल चौधरी, अधिवक्ता।

प्रतिवादी सं. 3, 7 व 8 - श्री अशोक कुमार पटेल, अधिवक्ता।

प्रतिवादी सं. 1, 2, 4 से 6 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

प्रतिवादी सं. 9- सरकारी पैरोकार।

### निर्णय

दिनांक :- 23/08/25

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम पटेलनगर तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 1620 रकबा 3.3412 हैक्टेयर किस्म बारानी चतुर्थ आई हुई है। जिसके खाता संख्या चालु जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 के अनुसार 255 है। उपरोक्त खसरा की भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 8 की सयुक्त खातेदारीसुदा, सयुक्त कब्जा काश्तसुदा भूमि है, जिसमें वादी संख्या 1 का 7/576 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 2 का 5/384 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 3 का 1/27 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 4 का 1/36 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 5 का 1/135 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 6 का 7/1728 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 7 का 1/108 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 8 का 1/576 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 9 का 1/27 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 10 का 1/36 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 11 का 7/1728 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 12 का 1/72 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 13 का 1/576 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 14 का 1/54



सहायक कलेक्टर  
एवं उप खण्ड अधिकारी  
बिलाड़ा

वॉ हिस्सा, वादी संख्या 15 का 1/27 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 16 का 1/72 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 17 का 1/24 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 18 का 1/675 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 19 का 1/675 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 20 का 1/54 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 21 का 1/108 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 22 का 1/135 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 23 का 1/36 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 24 का 1/24 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 25 का 1/108 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 26 का 5/384 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 27 का 5/1152 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 28 का 1/135 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 29 का 1/27 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 30 का 1/36 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 31 का 1/72 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 32 का 7/576 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 33 का 1/384 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 34 का 5/2304 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 35 का 7/1728 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 36 का 1/675 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 37 का 1/96 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 38 का 1/36 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 39 का 1/135 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 40 का 1/576 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 41 का 1/36 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 42 का 1/675 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 43 का 5/1152 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 44 का 5/2304 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 45 का 1/675 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 46 का 1/96 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 47 का 1/72 वॉ हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/48 वॉ हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/144 वॉ हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 1/48 वॉ हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 का 1/18 वॉ हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 का 1/6 वॉ हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 6 का 1/144 वॉ हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 7 का 1/18 वॉ हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 8 का 1/144 वॉ हिस्सा है। वादग्रस्त कृषि भूमि पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 8 का वाद पत्र के पद संख्या 2 में वर्णित हक व हिस्से यानि खाता संख्या 255 की चालु जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 में वर्णितानुसार हिस्से की भूमि का वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के मध्य जुबानी बंटवाड़ा हो रखा है तथा मुताबिक जुबानी बंटवाड़ा के अनुसार ही वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 8 अपने-अपने हिस्से की भूमि पर मौके पर काबिज है व काश्त कर रहे है। वादग्रस्त कृषि भूमि का वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के मध्य आज दिन तक लिखित व विधिवत बंटवाड़ा नहीं हुआ है व न ही राजस्व नक्शे में मुताबिक वादपत्र के पद संख्या 2 में वर्णित हिस्से के अनुसार तरमीम हुई है तथा वादग्रस्त भूमि वाद पत्र के पद संख्या 2 में वर्णित हक व हिस्से के अनुसार राजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के नाम से सयुक्त रूप से खातेदारी के रूप में दर्ज है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 8 वाद पत्र के पद संख्या 2 में वर्णित अपने हिस्से के अनुसार वादग्रस्त कृषि भूमि पर मुताबिक जुबानी बंटवाड़ा के अनुसार काबिज है व काश्त कर रहे है। वादग्रस्त कृषि भूमि के संबंध में वादपत्र के पद संख्या 2 में वर्णित वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के हक व हिस्से के संबंध में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 8 को विधिवत बंटवाड़ा व राजस्व नक्शे में मुताबिक विधिवत बंटवाड़ा के



सहायक कलेक्टर  
 एवं उप जिल्हा अधिकारी  
 विभाग

अनुसार तरमीम करवाने हेतु कई बार निवेदन किया परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 से 8 ने आज दिन तक न तो वादीगण के निवेदन को स्वीकार किया व न ही वादीगण के निवेदन से सहमत हुए व न ही आज दिन तक वादग्रस्त कृषि भूमि का विधिवत बंटवाड़ा किया। बिना बंटवाड़ा के वादीगण न तो अपने हिस्से की भूमि पर कोई सुधार कर सकते हैं और न ही उसे उपजाऊ बना सकते हैं, व न ही सरकारी सुविधाओं को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए वादीगण को अपने हक व हिस्से की वाद पत्र के पद संख्या 2 में वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि के बंटवाड़ा व राजस्व नक्शे में तरमीम करवाने के लिए यह वाद बाबत् बंटवाड़ा का प्रस्तुत है। दिनांक 19.06.2023 को प्रतिवादी संख्या 1 से 8 द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि पर बिना बंटवाड़ा किये ही मौके पर अजनबी खरीददारों को उक्त वादग्रस्त भूमि बैचान करने हेतु मौका दिखाने हेतु आये। तब वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से 8 को कहा कि आप वादग्रस्त जमीन का मौका क्यों दिखा रहे हो तब उन्होंने वादीगण को कहा कि प्रतिवादी संख्या 1 से 8 अपने हिस्से की जमीन को बैचान करेंगे। तब वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 से 8 को कहा कि आप बिना बंटवाड़ा किये तथा बिना वादीगण की सहमति के आपके हिस्से की भूमि का बैचान अजनबी क्रेता को नहीं कर सकते हो, तो प्रतिवादी संख्या 1 से 8 ने वादीगण की बात को न मानकर वादीगण को एलानिया कहा कि "हम तो हमारे हिस्से की भूमि को पड़ोस दर्शाते हुए बिना बंटवाड़ा के व तुम्हारी सहमति के बिना अजनबी क्रेता को बैचान करके रहेंगे। यदि तुमने कानूनी कार्यवाही के जरिये रोकने की कोशिश की तो हम तुम्हें भी तुम्हारे हिस्से की भूमि से जबरन बेदखल कर देंगे तथा तुम्हें तुम्हारे हिस्से से वंचित कर देंगे।" इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 से 8 को उनके द्वारा उपरोक्त अवैध कार्य करने से रोकने हेतु, जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। इसलिए यह वाद बाबत् स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत है।



अन्त में निवेदन किया कि राजस्व ग्राम पटेलनगर तहसील बिलाडा की राजस्व सीमा में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा संख्या 1620 रकबा 3.3412 हैक्टेयर में स्थित वादी संख्या 1 का 7/576 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 2 का 5/384 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 3 का 1/27 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 4 का 1/36 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 5 का 1/135 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 6 का 7/1728 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 7 का 1/108 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 8 का 1/576 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 9 का 1/27 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 10 का 1/36 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 11 का 7/1728 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 12 का 1/72 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 13 का 1/576 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 14 का 1/54 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 15 का 1/27 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 16 का 1/72 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 17 का 1/24 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 18 का 1/675 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 19 का 1/675 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 20 का 1/54 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 21 का 1/108 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 22 का 1/135 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 23 का 1/36 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 24 का 1/24 वॉ हिस्सा, वादी

संख्या 25 का 1/108 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 26 का 5/384 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 27 का 5/1152 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 28 का 1/135 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 29 का 1/27 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 30 का 1/36 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 31 का 1/72 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 32 का 7/576 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 33 का 1/384 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 34 का 5/2304 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 35 का 7/1728 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 36 का 1/675 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 37 का 1/96 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 38 का 1/36 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 39 का 1/135 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 40 का 1/576 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 41 का 1/36 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 42 का 1/675 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 43 का 5/1152 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 44 का 5/2304 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 45 का 1/675 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 46 का 1/96 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 47 का 1/72 वॉ हिस्सा की भूमि का मुताबिक जुबानी बंटवाड़ा के अनुसार व काबिज अनुसार जरिये मीटस एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा किया जाकर राजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी में अलग से उपरोक्त हिस्से के अनुसार खातेदारी दर्ज की जावे व राजस्व नक्शे में उपरोक्त वर्णित हक व हिस्से अनुसार तरमीम की जावे तथा वादीगण की बंटसुदा भूमि में आने जाने हेतु रास्ते की सुविधा की जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वो वादीगण के हिस्से अनुसार बंट में आयी खातेदारी भूमि में न तो स्वयं किसी प्रकार की दखल करे तथा न ही अन्य किसी से करावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीगण का दावा दिनांक 17.07.2023 को प्राथमिक डिक्री किया गया और ग्राम पटेलनगर तहसील बिलाडा की सरहद में स्थित भूमि खसरा संख्या 1620 रकबा 3.3412 हैक्टेयर में स्थित वादी संख्या 1 का 7/576 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 2 का 5/384 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 3 का 1/27 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 4 का 1/36 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 5 का 1/135 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 6 का 7/1728 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 7 का 1/108 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 8 का 1/576 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 9 का 1/27 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 10 का 1/36 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 11 का 7/1728 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 12 का 1/72 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 13 का 1/576 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 14 का 1/54 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 15 का 1/27 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 16 का 1/72 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 17 का 1/24 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 18 का 1/675 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 19 का 1/675 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 20 का 1/54 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 21 का 1/108 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 22 का 1/135 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 23 का 1/36 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 24 का 1/24 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 25 का 1/108 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 26 का 5/384 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 27 का 5/1152 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 28 का 1/135 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 29 का 1/27 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 30 का 1/36 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 31 का 1/72 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 32 का



सहायक कलेक्टर  
एवं उप खण्ड अधिकारी  
बिलाडा

7/576 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 33 का 1/384 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 34 का 5/2304 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 35 का 7/1728 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 36 का 1/675 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 37 का 1/96 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 38 का 1/36 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 39 का 1/135 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 40 का 1/576 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 41 का 1/36 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 42 का 1/675 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 43 का 5/1152 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 44 का 5/2304 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 45 का 1/675 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 46 का 1/96 वॉ हिस्सा, वादी संख्या 47 का 1/72 वॉ हिस्सा की भूमि का मुताबिक काबिज जुबानी बंटवाड़ा के अनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा कर बंटवाड़ा प्रस्तावित करने हेतु तहसीलदार बिलाडा को आदेश प्रदान किया गया। जिसकी पालना करते हुए तहसीलदार बिलाडा ने बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार कर दिनांक 30.04.2024 को न्यायालय हाजा में प्रेषित किया गया। तहसीलदार बिलाडा द्वारा प्रेषित प्राथमिक डिक्री पर प्रतिवादी सं. 3, 7 व 8 के अधिवक्ता द्वारा आपति पेश किया। प्रतिवादी सं. 3, 7 व 8 द्वारा प्रस्तुत आपतियां का निस्तारण करने हेतु न्यायालय हाजा द्वारा क्रमांक 128 दिनांक 21.02.2025 को पत्र जारी कर तहसीलदार बिलाडा को आदेशित किया गया था। तहसीलदार बिलाडा द्वारा उक्त आपतियां का निस्तारण कर पुनः प्राथमिक डिक्री की पालना कर पालना रिपोर्ट दिनांक 20.05.2025 को न्यायालय हाजा में प्रेषित की गई।

तहसीलदार बिलाडा द्वारा प्रेषित पालना रिपोर्ट पर प्रतिवादी सं. 3, 7 व 8 द्वारा पुनः आपतियां पेश कर कथन किया कि श्रीमान तहसीलदार बिलाडा के पत्रांक 368 दिनांक 06.03.2025 ये यह स्पष्ट है कि तहसीलदार बिलाडा स्वयं द्वारा मौके पर नहीं जाकर केवल मात्र भूअभि. निरीक्षक रणसीगांव को बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार कर कार्यालय में पेश करने हेतु आदेशित किया गया है। तथा तहसीलदार बिलाडा द्वारा पक्षकारान को न तो नोटिस जारी किये गये व न ही पक्षकारान को कोई सुनवाई का अवसर दिया तथा न ही तहसीलदार स्वयं मौके पर जाकर बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार किया। जबकि इस संबंध में माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर का स्पष्ट आदेश था कि तहसीलदार बिलाडा मौके पर स्वयं जाकर दोनों पक्षकारान को सूचित कर सुनवाई का अवसर देकर नियमानुसार बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार कर माननीय न्यायालय में पेश करें। नियमों के अनुसार रास्ते की भूमि समस्त वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज होनी चाहिए मगर भूअभि.निरीक्षक रणसीगांव द्वारा बंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार करते समय रास्ते की भूमि अलग-अलग खाता तैयार कर अलग-अलग काशतकारों के नाम दर्ज कर दी गयी, जिसमें कई खातेदारों के हित प्रभावित हुए हैं उनके नाम रास्ता रहा ही नहीं है, जबकि सम्पूर्ण रास्ते की भूमि का एक ही खाता समस्त वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम संयुक्त रूप से दर्ज होना चाहिए। अतः आपति प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि तहसीलदार बिलाडा द्वारा प्रस्तुत बंटवाड़ा प्रस्ताव को निरस्त कर पुनः नये सिरे से निर्णय व



2 ✓  
सहायक कलक्टर  
एवं उप खण्ड अधिकारी  
बिलाडा

प्राथमिक डिक्री दिनांक 17.07.2023 की पालना में बंटवाडा प्रस्ताव तलब किये जाने का आदेश फरमावें।

वादीगण व प्रतिवादी सं. 3, 7 व 8 अधिवक्ता द्वारा आपतियां पर बहस की गई। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस पेश कर कथन किया कि तहसीलदार बिलाडा द्वारा बंटवाडा प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया जो राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं कर पूर्ण रूप से उल्लंघन हुआ है, प्रस्ताव एक अतिरिक्त चार्ज निरीक्षक भू अभिलेख रणसीगांव द्वारा तैयार किया गया है, जो वर्तमान में पटवारी पद पर कार्यरत है। अतिरिक्त चार्ज का कार्य नियुक्ति अधिकारी के आदेश की मान्यता है, अन्य अधिकारी द्वारा दिये गये अतिरिक्त चार्ज में कोई नीतिगत निर्णय नहीं किया जा सकता है, यदि ऐसा करता है तो नियम विरुद्ध कार्यवाही मान्य होती है। निरीक्षक भू अभिलेख रणसीगांव द्वारा कार्यालय तहसीलदार बिलाडा का नोटिस केवल 4 पक्षकारों के नाम भरकर तहसीलदार के स्थान पर निरीक्षक भू अभिलेख रणसीगांव के हस्ताक्षर किये गये, जो कर्मचारी एक पटवारी के पद पर कार्यरत है, इनको नियुक्त अधिकारी (जिला कलक्टर) द्वारा कोई अतिरिक्त चार्ज का आदेश नहीं है, जो नोटिस एवं बंटवाडा प्रस्ताव नियमों के विरुद्ध होने से काबिले खारिज है। प्रतिवादी सं. 3, 7 व 8 अधिवक्ता द्वारा न्यायिक दृष्टान्त पेश किए। न्यायिक दृष्टान्त भारतसिंह बनाम भंवरसिंह 2022 आर.बी.जे. 465 तथा न्यायिक दृष्टान्त जमना बनाम छीतर 2022 आर.बी.जे. 446 पेश किए।

उपरोक्त आपतियां का अवलोकन किया गया। प्रतिवादीगण सं. 3, 7 व 8 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का मनन किया। तहसीलदार बिलाडा द्वारा प्रेषित पालना रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। पालना रिपोर्ट के अवलोकन से विदित होता है कि तहसीलदार के समक्ष मौका रिपोर्ट तैयार की गई। तहसीलदार बिलाडा द्वारा मौका रिपोर्ट के अनुसार भू अभिलेख निरीक्षक रणसीगांव के साथ दिनांक 15.05.2025 को वादग्रस्त आराजी के मौके पर पहुंचना स्वीकारा है। मौका रिपोर्ट पर तहसीलदार बिलाडा के साथ साथ भू अभिलेख निरीक्षक रणसीगांव व पटवारी पटेलनगर के हस्ताक्षर प्रदर्शित है। मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न नजरी नक्शा के अवलोकन से विदित है कि प्रत्येक काश्तकार के कृषि भूमि पर आने जाने हेतु रास्ता प्रदर्शित किया गया। उपरोक्त मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा से विदित होता है कि प्रतिवादी सं. 3, 7 व 8 द्वारा प्रस्तुत आपतियां निराधार है। अतः प्रतिवादी सं. 3, 7 व 8 द्वारा प्रस्तुत आपतियां को खारिज किया जाता है।

अतः तहसीलदार बिलाडा द्वारा पुनः पालना रिपोर्ट पेश की गई। जिसकी पालना करते हुए तहसीलदार बिलाडा ने बंटवाडा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो निम्नानुसार है।

क्र.सं.	नाम काश्तकार	खसरा नम्बर	रकबा

सहायक कलक्टर

एवं उप खण्ड अधिकारी

बिलाडा

1	लालूराम पुत्र बालूराम जाति कुम्हार (प्रजापति) सा.देह खातेदार	1620 1620	0.0278 0.0650
	कुल खसरा	2	0.0928
2	शिवदानराम पुत्र श्रीराम जाति कुम्हार(प्रजापति) सा.देह खातेदार	1620 1620	0.0308 0.0654
	कुल खसरा	2	0.0962
3	घेवरराम पुत्र अनाराम जाति कुम्हार(प्रजापति) सा.देह खातेदार	1620 1620	0.0175 0.1426
	कुल खसरा	2	0.1601
4	नवरतनलाल पुत्र अमराराम 1/5, नाथीदेवी पत्नी अमराराम 1/5, रेखा पुत्री अमराराम 1/5, शोबा पुत्री अमराराम 1/5, सुमित्रा पुत्री अमराराम 1/5 जाति कुम्हार (प्रजापति) सा.देह खातेदार	1620 1620	0.0087 0.0382
	कुल खसरा	2	0.0469
5	बाबुलाल पुत्र सुगनाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) सा.देह खातेदार	1620 1620	0.0088 0.0364
6	पतासी पत्नी डांवरराम जाति कुम्हार(प्रजापति) सा.देह खातेदार	1620 1620	0.0180 0.0777
7	ओमदत पुत्र गोकलराम 1/2, बाबूलाल पुत्र गोकलराम 1/2 जाति कुम्हार (प्रजापति) सा.देह खातेदार	1620	0.0263
8	रामदीन पुत्र उकारराम जाति कुम्हार (प्रजापति) सा.देह खातेदार	1620	0.0307
9	बचनाराम पुत्र हापूरराम जाति कुम्हार (प्रजापति) सा.देह खातेदार	1620	0.0669
10	नवरतनलाल पटेल पुत्र बिडदाराम 1/2 पारसराम पुत्र बिरदाराम 1/2 जाति कुम्हार(प्रजापति) सा.देह खातेदार	1620 1620	0.0759 0.0065
11	नरसिंहराम पुत्र जोगाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) सा.देह खातेदार	1620 1620	0.0180 0.0213
12	टोडाराम पुत्र गोपाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) सा.देह खातेदार	1620 1620	0.0056 0.0899
13	धोकलराम पुत्र गोपाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) सा.देह खातेदार	1620 1620	0.0164 0.0672
14	लक्ष्मणराम पुत्र भंवरलाल जाति कुम्हार( प्रजापति) सा.देह खातेदार	1620	0.0512
15	सोहनलाल पुत्र भंवरलाल जाति कुम्हार (प्रजापति) सा.देह खातेदार	1620	0.0413
16	रेंवतराम पुत्र पाबुराम जाति कुम्हार (प्रजापति) सा.देह खातेदार	1620	0.0273
17	मदनलाल पुत्र पाबूराम 3/4, महेन्द्र पुत्र मांगीलाल 1/4 जाति कुम्हार(प्रजापति) सा.देह खातेदार	1620	0.0273
18	पोकरराम पुत्र सीमाराम 1/4, अणदाराम पुत्र सीमाराम 1/4,	1620	0.0511



सहायक कलक्टर

एवं उप खण्ड अधिकारी

बिलाडा

	मैनादेवी पुत्री सीमाराम 1/4, फेफली पत्नी बंशीलाल 1/12, संतोष पुत्री बंशीलाल 1/12, सुमन पुत्री रामचन्द्र 1/24, मनीषा पुत्री रामचन्द्र 1/24 जाति कुम्हार (प्रजापति) सा.देह खातेदार		
19	चैनाराम पुत्र पुनाराम 1/2, पपूराम पुत्र पूनाराम 1/2 जाति कुम्हार (प्रजापति) सा.देह खातेदार	1620	0.0768
20	बाबूलाल पुत्र पेमाराम 1/3, दाखुदेवी पत्नी पेमाराम 2/3 जाति कुम्हार(प्रजापति) सा.देह खातेदार	1620	0.0390
21	प्रकाशराम पुत्र जोगाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) सा.देह खातेदार	1620	0.0860
22	रामदीन पुत्र उंकारराम 1/2, ओमदत पुत्र गोकलराम 1/4, बाबूलाल पुत्र गोकलराम 1/4 जाति कुम्हार (प्रजापति) सा.देह खातेदार	1620	0.0413
23	घेवरराम पुत्र अनाराम 2/3, तिजाईदेवी पत्नी बचनाराम 1/3 जाति कुम्हार (प्रजापति) सा.देह खातेदार	1620	0.0332
24	शिवदानराम पुत्र श्रीराम 1/4, लालूराम पुत्र बालुराम 1/4, पन्नलाल पुत्र आसुराम 1/4, अम्बालाल पुत्र पेमाराम 1/8, बाबूलाल पुत्र पेमाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) सा.देह खातेदार	1620	0.0130
25	अम्बालाल पुत्र पेमाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) सा.देह खातेदार	1620 1620	0.0130 0.0654
26	भाकरराम पुत्र गोपाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) सा.देह खातेदार	1620	0.0863
27	हाथीराम पुत्र गोपाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) सा.देह खातेदार	1620	0.0863
28	पन्नलाल पुत्र आसूराम जाति कुम्हार (प्रजापति) सा.देह खातेदार	1620	0.0825
29	श्यामलाल पुत्र सुगनाराम 4/5 जाति कुम्हार (प्रजापति) सा.देह खातेदार, कमली देवी पुत्री सुगनाराम 1/5 जाति कुम्हार (प्रजापति) सा.देह खातेदार	1620	0.0364
30	पन्नलाल पुत्र सुगनाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) सा.देह खातेदार	1620	0.0371
31	तिजाईदेवी पत्नी बचनाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) सा.देह खातेदार	1620	0.0835
32	रामदीन पुत्र उंकारराम 1/9, ओमदत पुत्र गोकलराम 1/18, बाबूलाल पुत्र गोकलराम 1/18, पतासी पत्नी डावरराम 1/9, बाबूलाल पुत्र सुगनाराम 1/9, नवरतनमल पुत्र अमराराम 1/9, घेवरराम पुत्र अनाराम 1/9, नरसिंगराम पुत्र जोगाराम 1/9, नवरतनमल पटेल पुत्र बिडदाराम 1/18, पारसराम पुत्र बिरदाराम 1/18, बचनाराम पुत्र हापुराम 1/9 जाति कुम्हार (प्रजापति) सा.देह खातेदार	1620	0.0290 रास्ता उपयोग हेतु
33	रामदीन पुत्र उकारराम 1/5, ओमदत पुत्र गोकलराम 1/10, बाबूलाल पुत्र गोकलराम 1/10, घेवरराम पुत्र अनाराम 1/10, तिजाईदेवी पत्नी बचनाराम 1/10, प्रकाशराम पुत्र जोगाराम	1620	0.0295 रास्ता



	1/10, नरसिंगराम पुत्र जोगाराम 1/10, चैनाराम पुत्र पुनाराम 1/10, पपूराम पुत्र पूनाराम 1/10 जाति कुम्हार (प्रजापति) सा. देह खातेदार		उपयोग हेतु
34	लक्ष्मणराम पुत्र भंवरलाल 1/11, सोहनलाल पुत्र भंवरलाल 1/11, रेंवतराम पुत्र पाबूराम 1/11, मदनलाल पुत्र पाबूराम 1/11, पोकरराम पुत्र सीमाराम 1/11, फेफली पत्नी बंशीलाल 1/11, चैनाराम पुत्र पुनाराम 1/11, पपूराम पुत्र पूनाराम 1/11, नरसिंगराम पुत्र जोगाराम 1/11, अम्बालाल पुत्र पेमाराम 1/11, बाबूलाल पुत्र पेमाराम 1/11, जाति कुम्हार (प्रजापति) सा.देह खातेदार	1620	0.0919 रास्ता उपयोग हेतु
35	धोकलराम पुत्र गोपाराम 1/9, ओमदत पुत्र गोकलराम 1/18, बाबूलाल पुत्र गोकलराम 1/18, चैनाराम पुत्र पुनाराम 1/18, पपूराम पुत्र पुनाराम 1/18, चम्पादेवी पत्नी आनन्दप्रकाश 1/27 रहन- एचडीएफसी बैंक लि. शाखा बिलाडा, राकेश पुत्र आनन्दप्रकाश 1/27 रहन-एचडीएफसी बैंक लि. शाखा बिलाडा, रामनिवास पुत्र आनन्दप्रकाश 1/27, नरसिंगराम पुत्र जोगाराम 1/18, प्रकाशराम पुत्र जोगाराम 1/18, पुरखाराम पुत्र कालूराम 1/9, नवरतनराम पुत्र बिरदाराम 1/18, पारसराम पुत्र बिरदाराम 1/18, रूकमादेवी पत्नी रमेशचन्द्र 1/9, रामदीन पुत्र उंकारराम 1/9 जाति कुम्हार (प्रजापति) सा.देह खातेदार	1620	0.0278 रास्ता उपयोग हेतु
36	अम्बालाल पुत्र पेमाराम 1/3, लालूराम पुत्र बालूराम 1/3, पन्नालाल पुत्र आसुराम 1/3, जाति कुम्हार (प्रजापति) सा.देह खातेदार	1620	0.0409 रास्ता उपयोग हेतु
37	चम्पादेवी पत्नी आनन्दप्रकाश 222/11754 रहन एचडीएफसी बैंक लि. शाखा बिलाडा, पुरखाराम पुत्र कालूराम 666/11754, रूकमादेवी पत्नी रमेशचन्द्र 5538/11754, राकेश पुत्र आनन्दप्रकाश 222/11754 रहन एचडीएफसी बैंक लि. शाखा बिलाडा, रामनिवास पुत्र आनन्दप्रकाश 222/11754, नरसिंगराम पुत्र जोगाराम 531/11754, प्रकाशराम पुत्र जोगाराम 300/11754, नवरतनमल पुत्र बिरदाराम 414/11754, पारसराम पुत्र बिरदाराम 414/11754, चैनाराम पुत्र पूनाराम 374/11754, पपूराम पुत्र पूनाराम 375/11754, ओमदत पुत्र गोकलराम 627/11754, बाबूलाल पुत्र गोकलराम 628/11754, रामदीन पुत्र उंकारराम 1221/11754 जाति कुम्हार(प्रजापति) सा.देह खातेदार	1620	1.1754 शामलाती

उक्त सारणी के अनुसार वादीगण व प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त की भूमि मौका स्थिति अनुसार नजरी नक्शा के अनुसार बंट में रखी गयी। बंटवाडा प्रस्ताव को लेकर प्रतिवादी सं० 3, 7 व 8 द्वारा आपति पेश की गई जो निराधार साबित होने से आपति



अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई  
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा  
व इजलास मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.

वादी :-  
रेवतराम व अन्य

बनाम

प्रतिवादीगण :-  
केवलराम वगैरा

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी. एक्ट

राजस्व वाद संख्या :- 69/2023

निर्णय

दिनांक :- 23/06/23

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रुबरु हमारे व हाजरी श्री मदनलाल चौधरी अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 3, 7 व 8 की ओर से श्री अशोक कुमार पटेल अधिवक्ता, प्रतिवादी सं. 1, 2, 4 से 6 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही, प्रतिवादी संख्या 9 सरकारी पैरोकार मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश दिया जाता है कि वो अन्तिम डिक्री व बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार भूमि का राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम से खातेदारी दर्ज करे व नक्शा ट्रेस में तरमीम करे एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई, निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादीगण के बंट में आई खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो। बंटवाड़ा प्रस्ताव को अन्तिम डिक्री का भाग समझा व पढा जावे। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल बर्तुर हो।



(मृदुला शेखावत)  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
बिलाड़ा

तीज - मुबलिग - बाबत् -

खर्चा इस मुकदमे के मय व शरह - सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक - की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :- इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।



(मृदुला शेखावत)  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
बिलाड़ा